

कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक स: अ0छा0क0/अध्येयतावृत्ति/5246

दिनांक: जुलाई, 8, 2024

कार्यालय आदेश

सम्बन्धित परामर्शदाता, विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर शिक्षा की संस्तुतियों पर वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के प्रथम षण्मास में प्रवेश प्राप्त पी0एच0डी0 में अध्ययनरत ऐसे छात्रों को जिन्हें नियमानुसार रू0 6000/-प्रतिमाह की दर से नवीनीकरण अध्येयतावृत्ति स्वीकृत हो चुकी है और उन्होंने विभिन्न षण्मास में पंजीकरण कराया है को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी अवधि का भुगतान पूर्व नियमों, परिनियमों शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत करने हेतु कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुसार इन छात्रों का विवरण निम्न प्रकार है:-

S. No.	Name of Student	Id. No.	Date of Registration in I Semester 2023-24	Department/Major
1.	Pratyush Kumar Dash	58067	09.09.2023 to full Semester	Agriculture Extension & Communication
2.	Jyothsna Kusukuntla	58304	01.09.2023 to full Semester	-do-
3.	Pragya Naithani	45979	23.09.2022 to full Semester 08.02.2023 to full Semester 29.08.2023 to full Semester	Agronomy
4.	Deepa Bhatt	43876	09.09.2023 to full Semester	Clothing & Textiles
5.	Gautami Sharma	58513	29.08.2023 to full Semester	Livestock Production & Management
6.	Rakesh Chandra	56980	29.08.2023 to full Semester	Mechanical Engineering
7.	Jyoti Shukla	58264	09.09.2023 to full Semester	Plant Pathology
8.	Chetan Pant	59267	29.08.2023 to full Semester	Physics
9.	Ashish Krishna Yadav	56640	01.09.2023 to full Semester	Soil & Water Conservation Engineering

प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुसार वर्ष 2023-2024 के प्रथम षण्मास में इन छात्रों में से कोई भी छात्र शैक्षिक अथवा व्यवहारिक परिवीक्षा पर नहीं है।

पी0एच0डी0 में प्रवेश प्राप्त छात्रों को उनके विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश के दिनांक से 36 माह हेतु या थीसिस जमा करने के दिनांक तक जो भी पहले हो अध्येयतावृत्ति प्रदान की जाती है जो प्रत्येक षण्मास में पंजीकरण के उपरान्त इसका नवीनीकरण कराने पर ही नियमानुसार देय है। शैक्षिक एवं व्यवहारिक परिवीक्षा पर रहने वाले छात्र अध्येयतावृत्ति के पात्र नहीं होंगे।

(बृजेश सिंह)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट।
2. सम्बन्धित महाविद्यालयों एवं सम्बन्धित छात्रावासों के सूचना पटों पर सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित अधिष्ठाता।
4. निदेशक शोध को भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।
5. अधिष्ठाता स्नातकोत्तर/नियंत्रक/कुलसचिव/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
6. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।